

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 20 अप्रैल, 1995

विषय:- महर्षि विद्या मन्दिर पब्लिक स्कूल अल्मोडा को सी०बी०एस्सी०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जानेके सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महर्षि विद्या मन्दिर अल्मोडा को सी०बी०एस्सी०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इतत राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बिस्मिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टी-फिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्वय वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा इतें बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त अज्ञातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्वय सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा तमाम तमाम पर जो भी आदेश निर्गत किये जाते हैं, संस्था उनका पालन करेगी।


8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाजों में रखा जायेगा।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालय में ईपीओएफ योजना तमाम कर्मचारियों के लिए लागू की गई है।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तमाम यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,



अशोक गांगुली
उप तय्यव ।

पृ० नं०

111/15-7-1995 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक अल्मोड़ा।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, महर्षि विद्या मन्दिर पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा।

आज्ञा से,

अशोक गांगुली
उप तय्यव ।



Principal

of Sharishi Vidya Mandir
Sr. Sec. School
Almora (U.K.)